

राजस्थान सरकार

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ.2( )बजट/अति. आवं./आईसीडीएस/09/23638-842 जयपुर, दिनांक

29.3.10

बाल विकास परियोजना अधिकारी,  
समेकित बाल विकास सेवाएँ,  
.....जिला.....।

विषय:- अति. बजट आवंटन पत्र में आंशिक संशोधन करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा जारी निम्न अतिरिक्त बजट आवंटन पत्रों में आंशिक संशोधन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम परियोजना	पत्रांक/दिनांक	आवंटित राशि
1	2	3	4
1.	चित्तौड़गढ़ गा.	23640/28.3.2010	1.50
2.	चित्तौड़गढ़ शहर	23640/28.3.2010	0.60
3.	भैसरोडगढ़	23640/28.3.2010	0.70
4.	कपासन	23640/28.3.2010	0.27
5.	जसवन्तपुरा	23640/28.3.2010	1.00

उक्तानुसार कॉलम संख्या 4 में अंकित राशि को RTE-SHG मद के स्थान पर परिवहन मद में आवंटित माना जावे। आवंटित राशि का नियमानुसार एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही उपयोग किया जाना सुनिश्चित करावे।

  
मुख्य लेखाधिकारी